International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

महिला सशक्तिकरण में महिला बाल विकास की भुमिका:एक मुल्याकंन

डॉ. आशुतोष व्यास[1] राधेश्याम गमेती[2]

[1]सह आचार्य समाजशास्त्र समाजशात्र विभाग महाराणा प्रताप राजकिय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौडगढ
[2]शोधार्थी समाजशास्त्र मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर

भुमिका :

भारत में ही नहीं बल्कि विष्व के सभी देषों में महिला सषक्तीकरण सर्वाधिक चर्चित हैं। वर्तमान समय में समानता सभी समाजों का एक प्रमुख लक्ष्य हैं। असमानता सार्वभौमिक हैं तथा सभी समाजों में विद्यमान हैं। वैष्विक स्तर पर समय–समय पर समानता लाने के उद्देष्य से कई आन्दोलन हुए हैं। समाज में महिला एवं पुरूष के बीच भी लैगिंक असमानता व्याप्त हैं। अवधारणात्मक आधार पर लैंगिकता समाज एवं समुदाय द्वारा स्त्री–पुरूष की सामाजिक भुमिकाओं, जिम्मेदारियों, उनके स्वाभाविक गुणों और शक्ति सम्बन्धों को इगिंत करती हैं।

भारत में महिलाओं के बडे पैमाने पर भिन्नताएँ होने के कारण उनके बारें में व्यापक तौर पर अनुमान लगाना कठिन हैं, क्योंकि उसका सम्बन्ध अलग–अलग वर्गों, जातियों, धर्मो एवं समुदायों से है। इसके बावजूद भी यह कहा जा सकता हैं कि ज्यादात्तर महिलाएं पितृसतात्मक ढॉचों और विचारधाराओं के कारण तकलीफें उठाती हैं, उन्हैं महिला– पुरूष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पडता हैं। महिलाएँ सामाजिक और मानव विकास के समस्त सूचकों में पुरूषों से पिछड जाती हैं। महिलाओं के लिए भारत में दुनियां का सबसे प्रतिकूल महिला–पुरूष अनुपात हैं। महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा पुरूषों से कम हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण और शैक्षणिक स्तर पुरूषों की तुलना में बहुत कम हैं। महिला अल्प कौशल और कम पारिश्रमिक वाली नौंकरियों तक सीमित रहती है, उन्हैं पुरूषों की तुलना में पारिश्रमिक और वेतन कम मिलते हैं, साथ ही महिलाओं का सम्पति और उत्पादन के साधनों पर भी स्वामित्व एवं नियन्त्रण भी कम होता हैं।

महिला सशक्तीकरण न केवल सामाजिक न्याय व समानता के दृष्टिकोण से महत्वपुर्ण हैं,बल्कि यह विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों (एस. डी.जी.) की प्राप्ति का साधन भी हैं। वर्तमान में भारत में महिलाओं के प्रति सामाजिक हिंसा एवं बुराइयों को कम करने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कानुन/ अधिनियम भी लागु किए गए हैं। घरेलु मुद्दों की दृष्टि से महिला l'kDrhdj.k रोजगार सम्बन्धी गतिविधियों और उनसे जुडे उपयुक्त निर्णय लेनें में स्पष्ट रूप से सहायक हैं, जो बाद में उनके परिवारों के पोषण एवं स्वास्थ्य को भी प्रभवित करते हैं। महिलाओं को सषक्त बनाना न केवल पारिवारिक सदस्यों व बच्चों की दृष्टि से बल्कि राष्ट्र के विकासात्मक मुद्दो की दृष्टि से भी आवष्यक हैं। महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्परिणामों को महिला सशक्तीकरण में बाधक माना गया हैं, इसी कारण विगत कुछ वर्षों में महिलाओं व बच्चों के कुपोषण निवारण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना हैं जिससे वे अपनी गरिमा बरकरार रख सके, साथ ही हिंसा–भेदभाव मुक्त वातावरण में राष्ट्रीय विकास हेतु समान भागीदार बन सकें। अतः क्रॉस–कटिंग नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण को बढावा देने, लैगिंक मुद्दों को मुख्यधारा में लाने और जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ उनके मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास की दिशा में महिलाएं क्षमतापूर्वक अपना योगदान दे सके । इस दृष्टि से महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए एवं उन्हें सशक्त बनाने हेतु महिला बाल विकास विभाग द्वारा अनेक प्रयास एवं योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में महिला एवं बाल विकास द्वारा लागू कुछ प्रमुख योजनाएँ का उल्लेख किया गया है, तथा इनके फलस्वरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति कितना परिवर्तन हुआ है और महिलाएँ कितनी सशक्त हुई हैं। इसका मुल्यांकन करने का प्रयास किया गया ।

महिला एवं बाल विकास विभाग पूर्व में 1985 में मानवसंसाधन मंत्रालय के अन्नर्गत स्थापित किया गया, जनवरी 2006 में इसे पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। महिला एवं बालविकास का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को तथा बच्चों कों एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण में उन्हैं सुरक्षा एवं सुपोषण और खुशहाल विकास प्रदान करना है। जिससे वे देश के विकास के लिए समान रूप से अपनी भागीदारी प्रदान कर स्वंय को एवं देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान प्रदान कर सकें । इसी दृष्टि से महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जेंडर सरोकारों को मुख्यधारा से जोडकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा महिलाओं को अपने मानवाधिकारों को साकार करने और सम्पूर्ण विकास के लिए संस्थागत एवं कानूनी सहायता प्रदान कर महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसी प्रकार बालकों कों

अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित कर , शिक्षा प्राप्ति एवं पोषण सुविधाएँ सुलभ करके बालकों के समग्र विकास एवं उन्नति हेतु संस्थागत एवं कानुनी सहायता प्रदान कर बच्चों का विकास तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित करना हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा बालकों के हितों को आगे बढाने की दृष्टि से सरकार द्वारा कई संवैधानिक अधिकार तथा कानुन भी प्रदान किए गए हैं।

महिला सशक्तीकरण हेतु महिला बाल विकास विभाग द्वारा कियान्वित योजनाएँ

महिलाओं की स्थिति सुधारने उनके जीवन स्तर को ऊचॉ उठाने की दृष्टि से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनके प्रयास किए गए हैं। जो निम्न प्रकार से है

समेकित बाल विकास सेवा योजना –(ICDS)

यह योजना अक्टूबर 1975 में 33 परियोजना के साथ प्रारम्भ की गई थी। जिनमें 18 ग्रामीण क्षैत्र 11 जनजातिय क्षैत्र तथा 4 नगरीय क्षेत्रों की परियोजनांए थी। इस योजना की सफलता के फलस्वरूप वर्तमान में देष के सभी राज्यों में यह योजना कियान्वित की जा रही हैं। ns'k में कुल 7075 परियोजनाएँ कार्यरत हैं। इस योजना का मुख्य उद्देष्य 10–6 वर्ष की आयु के बालकों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना , बालकों में उचित मनौवैज्ञानिक,षारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना, मातृ एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण एवं बीच में स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, किषोरियों का सषक्तीकरण सुनिष्चित करना, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखरेख हेतु सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना हैं।

वर्तमान में समेकित बाल विकास सेवा को महिला एवं बाल विकास को जोड दिया गया हैं, साथ सन् 2017 में आईसीडीएस के अन्तर्गत चार उपयोजनाएँ भी सम्मिलित की गई हैं–

1 ऑगनबाडी सेवा
2 किशोरी योजना
3 बाल संरक्षण सेवा
4 राष्ट्रीय शिशु गृह योजना।

ऑगनबाडी सेवा – ऑगनबाडी योजना 1985 में प्रारम्भ की गई थी, इस योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 400 तक की आबादी तथा जनजाति क्षेत्रों में 300 तक की आबादी पर ऑगनबाडी केन्द्र खोलने का प्रावधान है।

ऑगनबाडी केन्द्र का मुख्य कार्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं माताओं तथा किशोरी बालिका ओं को पूरक पोषाहार हितग्राही तैयार करके बॉटना तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व स्कूली शिक्षा देना भी हैं। साथ ही कूपोषण एवं जटिल बीमारी होने पर ऑगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं। प्रत्येक ऑगनबाडी केन्द्र पर एक सहायिका होती हैं जो भोजन बनाने तथा केन्द्र की साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्यों में सहसोग प्रदान करती हैं।

समेकित बाल विकास सेवा और ऑगनबाडी के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं को तालिका क्रमांक में दर्शाया गया हैं–

सारणी क्रमांक 1
स्त्रोत महिला एवं विकास विभाग ,नई दिल्ली

समेकित बाल विकास सेवा और ऑगनबाडी द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ

1 पूरक पोषाहार	लाभार्थी 6 माह से 6 वर्ष के बच्चें,गर्भवती एवं धात्री माताएं और किशोर बालिकाएं
2 टीकाकरण	0 से 6 वर्ष के बच्चें एवं गर्भवती महिलाएं
3 स्वास्थ्य जॉच	6 वर्ष के बच्चें, गर्भवती एवं धात्री माताएं और किशोर बालिकाएँ
4 संदर्भ सेवा	6 वर्ष के बच्चें, गर्भवती एवं धात्री माताएं
5 पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15–45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोर बालिकाएँ
6 अनौपचारिक शिक्षा	3 से 6 वर्ष के बच्चे।

उपरोक्त सेवाओं में से तीन सेवाएँ टीकाकरण, स्वास्थ्य संदर्भ सेवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ऑगनबाडी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाकर सम्पन कराई जाती ळें

राष्ट्रीय महिला आयोग–

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारतीय महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और समस्याओं का समाधान करना हैं। आयोग द्वारा दहेज,राजनीति,धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं का शोषण रोकना हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य–

महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानुनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना ।

सन् 2020–21 में कोविड महामारी की स्थिति के कारण आयोग ने जीवन के विभिन्न क्षैत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से ई बैठकों का आयोजन किया। कोविड–19 की स्थिति के कारण आयोग ने जेलों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव व उपाय उपलब्ध कराए जिससे उनके साथ मानवीय व्यवहार हो जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा मानसिक स्वास्थ्य गरीमामय जीवन कोविड–19 संकट को ध्याान में रखते हुए वार्डो को भीड रहित करना और सामाजिक दुरी बनाए रखना, जिससे महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। दिसम्बर 2020 तक आयोग 19489 शिकायते/ मामले दर्ज किए/जिनमें से कई मामले घरेलु हिंसा से सम्बन्धित थे।

जेण्डर बजटिगं– वैश्विक स्तर पर जेण्डर बजटिगं का प्रारम्भ 1979 में सीडा (Convention on the Elimination of All Froms of Discninayion Agarinst Women) द्वारा किया गया था, भारत में औपचारिक तौर पर 1997–98 के बजट सामान्य में जेण्डर बजट को प्रस्तुत किया गया था। सामान्यतः जेण्डर–प्रतिसंवेदी बजट, जेण्डर संवेदी बजट और महिलाओं का बजट इन शब्दों का उपयोग प्रायः एक दूसरे के लिए किया जाता हैं। जेण्डर बजट का तात्पर्य यह नहीं हैं कि महिलाओं के लिए अलग से बजट पेश किया जाए बल्कि मुख्य बजट में ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि सामाजिक लैंगिक दायरे को भरने के लिए मदद मिल सके। सरकारी पैसो को किस मद में कितना खर्च किया जाए, और कहां से पैसा जमा किया जाए, जेण्डर बजट का मुख्य कार्य हैं।

किशोरी शक्ति योजना (सबला)

किशोरवस्था किसी भी महिला के जीवन की सर्वाधिक महत्वपुर्ण अवस्था होती हैं। इस अवस्था में वह यौवन की दहलीज पर होती हैं। बाल्यावस्था तथा यौवन के बीच की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था नारी के मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकास को दृष्टि से अत्यन्त परिवर्तनशील होती हैं। किशोरी योजना अपने वर्तमान स्वरूप में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रौं मे आंगनबाडी तथा समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अविवाहित तथा स्कूली शिक्षा छोड चुकी किशोरियों का चयन किया जाता है, तथा स्थानीय आंगनबाडी केन्द्रों में 6 माह तक उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों में सम्मिलित किया जाता हैं। इस स्कीम में दो उप –स्कीम भी शामिल हैं–

1 प्रत्येक बालिका के लिए अलग दृष्टिकोण, इसके अन्तर्गत 6400 रूपये से भी कम आय वाले परिवारों की 11–15 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों को इसका लाभ दिया जाएगा।

2 सभी आय स्तर के परिवारों की 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की छोटी बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। किशोरी स्कीम 507 आई.सी.डी.एस. ब्लॉकों में स्वीकृत की गई हों इस योजना का उद्देश्य –11–18 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं की पौषणिक एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना , किशोरियों को अधिक से अधिक सामाजिक अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने तथा उन्हें अपनी निर्णय निर्माण क्षमताओं में सुधार करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें अंक एवं साक्षरता प्रदान करना है, किशोरियों को उनके घरेलु एवं व्यावसायिक कौशलों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करना, एवं साधन सम्पन बनाना, किशोरियों में स्वास्थ्य एवं साफ सफाई पोषण एवं परिवार कल्याण,गृहप्रबंधन तथा बाल सम्बन्धी जागरूकता को बढावा देना, साथ ही यह सुनिश्चित करना की उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में उसके बाद हो। इस योजना के अन्तर्गत लगभग एक करोड से अधिक लडकियां लाभान्वित हुई हैं।

उज्जवला योजना–

उज्जवला योजना 2007 में बच्चों और महिलाओं की तस्करी समाप्त करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। अवैध मानव तस्करी दुनिया भर में बडी समस्या हैं और भारत भी इससे प्रभावित रहा हैं। भारत में लडकीया भी इसमें फंसी हुई दिखती हैं। अक्सर पारिवारिक बाध्यताओं के कारण उन्हें बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता हैं, और कई बार उन्हें जबरन कार्य करना पडता हैं, व देह व्यापार में धकेला जाता हैं। व्यावसायिक यौन शौषण के लिए बच्चों और महिलाओं की तस्करी एक संगठित अपराध हैं, जो बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लघन है। एक सुस्थात्मक वातावरण का अभाव, महिलाओं की निम्न स्थिति और गरीबी मानव तस्करी का प्रमुख कारण हैं। उज्जवला अवैध तस्करी की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौवन शौषण के लिए तस्करी की गई पीडितों के बचाव, पुनः एकीकरण और पुनर्वास के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक लाभ बन्दी और जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रमों, स्थानीय समुदायों की भागीदारी , सार्वजनिक बहसों की पीढी कार्यशाला व सेमिनारो के माध्यम से व्यावसासिक यौन शौषण के लिए बच्चों और महिलाओं की तस्करी की रोकथाम करना ,पीडित के लिए भोजन ,वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा सहायता कानूनी सहायता ,मार्गदर्शन व परामर्श के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों के प्रावधनों के समय से पुनर्वास सेवाए उपलब्धता कराना,पीडितों को उनके परिवार और बडे पैमाने पर समाज में फिर से जोडना तथा सीमा पार पीडितों जैसे नेपाल बांग्लादेश को उनके गृह देश में प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करना हैं।

स्वाधार ग्रह योजना–मुसीबत में फंसी लडकियों और महिलाओं को आश्रय देने के लिए यह योजना स्न 2028 में प्रारम्भ की गई । स्वाधार योजना गृह योजना उन महिलाओं के लिए हैं जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहयोग की जरूरत हैं, इसके अन्तर्गत कठिन परिस्थितियों से पीडित महिलाओं जिनमें विधवाएं, निराश्रित तथा बुजुर्ग शामिल हैं जिन्हें इस योजना के द्वारा आश्रम,भोजन ,वस्त्र तथा स्वास्थ्य एवं आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हैं। इस योजना के अनुसार 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह स्थायित्व किए जाएगें, इस योजना उद्देश्य आपदाग्रस्त महिलाओं तथा दुर्भाग्य पुर्ण परिस्थितयों का शिकार होने वाली महिलाओं को चिकित्सा उपचार देख रेख की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज/ परिवार में अपने पुनः समायोजन के लिए कदम बठाने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें कानुनी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करना हैं, आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से उनका पुनर्वास करना , एवं गरिमा और प्रतिबद्धता के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में उन्हें सक्षम बनाना हैं।सन् 2020 –21 में देश में कुल 360 स्वाधार गृहों से 7755 महिलाएँ लाभान्वित हुई।

बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना–

यह योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा क पानीपत से प्रारम्भ की गई, प्रारम्भ में इसे देश के निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारम्भ किया गया , सन् 2001 की जनगण्ना अनुसार प्रति हजार लडको पर 927 लडकियॉ थी,यद्यपि 2011 की जनगणना अनुसार प्रति हजार लडकों पर 943 लडकियॉ हो गई थी। इस योजना मुख्य उद्देश्य पाक्षपाती लिंग चुनाव की प्रतिक्रिया को उन्मूलन करना, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा के माध्यम से लडकियों समाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना हैं तथा में बालिकाओं को शोषण से भी बचाना हैं।

स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच एम आई एस) दृष्टि की रिपोर्ट के अनुसार 2014–15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो 2019–20 में बढकर 934 हो गया हैं, इस योजना के अन्तर्गत शामिल 640 जिलों में से 422 जिलों में 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक एस आर बी में सुधार का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 87 प्रतिशत से बढकर 2019–20 में 94 प्रतिशत तक पहुंच गया, शिक्षा की दृष्टि से स्कूलों में बालिकाओं के सकल नामाकंन अनुसार (जी ई आर) में 77.45 (2014–15) से 81.32 (2019–20) तक सुधार हुआ । बालिकाओं के लिए शौचालय वाले स्कुलों का प्रतिशत 2014–15 के 92.1 प्रतिशत से बढकर 2019–20 95.1 प्रतिशत हो गया हो गया। बेटी बचाओं , बेटी पढाओं योजना का उद्देश्य– लिंग भेद से पूर्वाग्रसित मनोवृति को समाप्त करना, बालिका की उत्तरजीविका और संरक्षण सुनिश्चित करना, बालिका के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिका की पोषण स्थिति में सुधार करना, बालिका के लिए संरक्षण व वातावरण को प्रोत्साहन देना ।

सुकन्या समृद्धि योजना–

सुकन्या योजना की 2015 शुरूवात बेटी बचाओं बेटी पढाओं अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत माता – पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं,इस योजना के अन्तर्गत खाता खुलवाने के लिए लडकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए ,खाते में प्रारम्भ के पॉच साल तक सरकार प्रतिवर्ष 1000/ रूपये खाते में डालेगी, लडकी के माता – पिता को भी इसमें साल में कम से कम 1000/ रूपये डालने हैं,और अधिकतम सीमा 1.50 लाख रूपये सालाना हैं, इस योजना के अन्तर्गत 14 साल तक लगातार रकम जमा की जाएगी, और उसके बाद 7 साल तक रकम नहीं डालनी है, 21 साल पुर्ण होने या विवाह होने पर यह राशि लडकी या उसके माता– पिता को दे दी जाएगी । इस योजना के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने इसे आयकर से मुक्त रखा हैं, और आयकर कानुन की धारा 80 सी के तहत सालाना निवेश पर भी छुट का प्रावधान रखा गया हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने तथा बेटियों की पढाई और उनके विवाह पर होने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 2015–16 में 15 लाख के लगभग खाते खोलने गए थे।

महिला शक्ति केन्द्र(एम एस के) योजना–

महिला शक्ति केन्द्र योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 लागत अनुपात के साथ लागु की गई। इस योजना के अन्तर्गत सम्पुर्ण देश में जिले से लेकर पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य देख रेख , गुणवतापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ,सामाजिक सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता महिलाओं को प्रदान करना हैं। वर्तमान में यह योजना देश के हर राज्यों के 303 जिलों में जिला स्तरीय महिला केन्द्र कार्यरत हैं। 2020–21 के वित्तिय वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 70.81 करोड रूपये की राशि स्वीकृति की गई।

वन स्टॉप सेन्टर योजना–

यह योजना अप्रेल 2015 से पूरे देश में लागु की गई, हिंसक अपराधों का सामना करने वाली अनेक महिलाओं का पता नही होता हैं कि सहायता के लिए कहा जाए , इस दृष्टि से पुरे देश में वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किए गए , इसके अन्तर्गत हिंसा से प्रभावित महिलाओं की पुलिस, चिकित्सा, कानुनी, मनौवैज्ञानिक सहायता तथा अस्थायी आश्रम की सहायता प्रदान की जाती हैं।दिसम्बर 2020

तक 33 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 699 ओ एस सी कार्यरत हैं। इन केन्द्रों द्वारा 3.05 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई।

महिलाओं को सर्वोतम सुलभ पहुंच और सहयोग प्रदान करने के लिए ओएससी को 181 महिला हेल्पलाईन के साथ भी समेकित किया जा रहा हैं। दिसम्बर 2020 तक 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाईन क्रियाशील की गई है। इसके अन्तर्गत 54.25 लाख से अधिक कॉल प्राप्त की गई, यह योजना निर्भया निधि के माध्यम से वित्त पोषित हैं।

वन स्टेप सेन्टर (वस्से) योजना उद्देष्य महिला ओं के प्रतिहिंसा की रोकथाम तथा पीडितों को संरक्षण और पुर्नवास उपलब्ध कराना हैं। उषा मेहरा आयोग ने योजना की आवष्यकता बताते हुए कहा कि तेजाब जैसे खतरनाक तरल पदार्थ से आक्रमण तथा यौन हिंसा की पीडिताओं को त्वरित प्राथमिकता चिकित्सा व आगे के ईलाज की मुक्त सुविधा उपलब्ध कराने की भुमिका मुख्यतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निभानी हैं। इसके लिए उषा मेहरा आयोग ने वस्से को प्राथमिकत तौर पर अस्पतालों में स्थापित करने की सिफारिष की ।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना –(पी एम एम वी वाई)

मातृ लाभ प्रदान करने हंतु यह योजना जनवरी 2017 में प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं और मात्र महिलाओं को सम्बन्धित शर्तों को पूरा करने पर 5000 रूपए का नकद लाभ (तीन किश्तों में) दिया जाना हैं। इस योजना के अन्तर्गत कुछ शर्ते हैं–गर्भावस्था का प्रारम्भिक पंजीकरण , प्रसव पूर्व जॉच ,बच्चे के जन्म का प्रारम्भिक पंजीकरण और टीकाकरण , प्रसवपूर्व जांच, बच्चे के जन्म का पंजीकरण और टीकाकरण के पहले चक्र को पूरा करने पर इस योजना का लाभ मिलता हैं। इस योजना के लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी प्रोत्साहन राशि मिलती हैं। अतः एक महिला को उसके पहले जीवित बच्चें के लिए औसतन 6000 रूपए का नकद लाभ मिलता हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2020 तक 20048562 लाभार्थियों से 52546642 आवेदन प्राप्त हुए थे , तथा1809537 लाभार्थियों को 7783.11 करोड रूपए की मातृत्व लाभ कि राशि प्रदान की गई है।

महिला बाल विकास विभाग के प्रयासों का महिलाओं पर प्रभाव–

20 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उदारीकरण, बाजारीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों पर पडा, जिससें समाज के आर्थिक, सामाजिक , सांस्कृतिक तथा पारिवारिक संरचना में भी आमुलचल परिवर्तन हुआ , महिलाएँ भी इससे प्रभावित हुई। महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में कई परिवर्तन भी हुए तथा वे सशक्त भी हुई, कई सारे तथ्य महिला सशक्तीकरण को उजागर करते हैं उनमें से कुछ प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार से हैं–

- पारिवारिक दृष्टि से महिलाओं की भूमिकाओं में परिवर्तन आया हैं। उनकी पारिवारिक कामों में प्राथमिकता बढी हैं, तथा उनकी भूमिका और अधिकारों में वृद्धि हुई हैं।
- महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वाबलम्बी हो रही हैं, तथा पुरूषों पर उनकी निर्भता कम हुई है। परिवार की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढा हैं। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र की कम्पनियों में कुल वर्कफोर्स की 24.5 फीसदी भागीदारी महिलाओं की हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 17.9 प्रतिशत हैं।
  देश की प्रत्यक्ष श्रम शक्ति में 40 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष श्रमशक्ति में 90 प्रतिशत योगदान महिलाओं का ही हैं।

महिलाओं में जागरूकता बढी हैं, तथा उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई हैं।

महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढी हैं, तथा वे शिक्षित होकर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। वे शिक्षा को रोजगाररोन्मूखी बनाने पक्ष में हैं।

- महिलाओं के विचारों औंर दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ हैं।, प्रेम विवाह, विलम्ब विवाह के प्रति महिलाएँ आकर्षित हुई हैं।
- विभिन्न सामाजिक कुरीतियों व जातीय नियमों के प्रति उनकी उदासीनता बढी हैं तथा वे इससे मुक्त होना चाहती हैं।
- महिलाओं में राजनैतिक चेतना में वृद्धि हुई हैं, तथा राजनैतिक आरक्षण के प्रति जागरूकता हुई हैं।
- शिक्षित महिलाओं परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं सीमित परिवार के महत्व को समझने लगी हैं।
- महिलाओं एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सामाजिक –आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक इस बात के प्रमाण हैं, जो सारणी कं. 2 में दर्शाए गए हैं–

महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी सूचकांक
सारणी क्रमांक 2

क्रसं.	सशक्तीकरण के क्षेत्र	2001	2011	2016
1	महिलाओं की जीवन प्रत्याशा (औसत)	61.8	66.0	72.0
2	लडकियों की विवाह आयु (औसत)	18.6	18.0	
3	जन्म दर (प्रतिशत)	26.0	20.9	19.3
4	मृत्यु दर (प्रतिशत)	9.0	6.9	7.3
5	शिशु मृत्यु दर (प्रतिशत)	70.0	48.0	40
6	महिला साक्षरता दर	54.16	65.46	70.3
7	लडकियों का स्कूल में नामांकन	48.9	48.46	50.4
8	महिलाओं की भागीदारी दर प्रतिशत	23.5	25.5	
9	संगठित क्षेत्र में महिलाएँ	17.8	20.4	

स्त्रोत जनगणना विभाग 2011

महिला सशक्तीकरण की वास्तविकता से सम्बधिंत तथ्य एवं का मूल्याकंन–
महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं व प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक –आर्थिक स्थिति में निरन्तर परिवर्तन आ रहा हैं। वर्तमान में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में चाहें वह शिक्षा , तकनीकि, धार्मिक ,राजनैतिक ,सामाजिक ,आर्थिक हो जिससे वे महिलाएँ विकास की दौड में निरन्तर आगे बढ रही हैं। तथा कई क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना योगदान भी दिया हैं, जिसके कारण महिलाओं के सशक्तीकरण की अवधारण प्रबल हुई हैं, लेकिन महिला सशक्तीकरण का एक दुसरा पहलु भी हैं, जो महिलाओं की स्थिति को उजागर करता हैं। भारत में महिला से सम्बन्धित अभी कई समस्याएँ हैं– जो महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न भी खडा करती हैं।

महिलाओं कि शिक्षा की स्थिति– लडकियों की शिक्षा की दृष्टि से देश में अब भी स्थिति अच्छी नहीं हैं। इण्डिया स्पेंड की 2012–13 की रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में लडकियों की संख्या केवल 7 प्रतिशत भी इसी प्रकार मावन संसाधन की रिपोर्ट के अनुसार पॉचवी तक शिक्षा प्राप्त करने वाले की संख्या लगभग 23 लाख कम हो गई थी 2011–12 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं की नामकंन दर 42.0 प्रतिशत थी । जबकि ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा स्थिति इसस खराब हैं। ये तथ्य महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति के पिछडेपन को दर्शाते हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य कि स्थिति – भारत में स्वास्थ्य हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की औसत आयु प्रत्याशा में सुधार आया हैं ,फिर भी महिलाएँ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ एवं बच्चे स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या से ग्रस्त हैं। वर्ल्ड बैंक की स्पायरिगं लाईव रिपोर्ट के अनुसार 2015–16 भारत में प्रति एक लाख प्रसव के दौरान 301 महिलाओं की मृत्यु हो जाती हैं। जब कि नेपाल में 276 तथा तथा श्रीलंका में मात्र 58 हैं। वर्ष 2017 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 51 प्रतिशत महिलाएँ एनिमिया से पीडित हैं।
द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कूपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 8.8 लाख बच्चों की मृत्यु हुई , वर्तमान में कोविड–19 जैसी महामारी के कारण भी भारत में इस समस्यां को हल करने में अभी और समय लगेगा ।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति– भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से सम्बन्धित थर्ड विलियन इंडेक्स (2011)की रिपोर्ट के अनुसार 128 देशों की सूची में भारत का स्थान 115 वॉ हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने देश की महिलाओं के अनेक सम्भावनाएँ उत्पन्न की है , फिर भी महिलाओं का एक बडा हिस्सा आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ हैं।

महिलाओं की रोजगार कि स्थिति –रोजगार की दृष्टि से भारत में लिंग भेद अभी भी बहुत अधिक हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस ओं) के 2011 के ऑकडो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में केवल 3प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला हैं जबकि शहरी क्षेत्र में यह 20 प्रतिशत ही हैं। अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन(आई एल ओं) द्वारा वैष्विक रोजगार की प्रवृत्तियों पर जारी 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ष्षहरी महिला श्रम ष्षक्ति दर 15 प्रतिषत के ष्साथ विष्व के 131 देषों की सूची में भारत 120वें स्थान पर हैं, जो एक बेहद चिंताजनक आंकडा हैं। इसी प्रकार एन एस ओं की रिपोर्ट के अनुसार भारत में षिक्षित महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य न मिलने के कारण घर पर रहने को मजबूर हैं।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति– महिला बाल विकास की विभिन्न सामाजिक योजनाओं फलस्वरूप ष्हर व गॉव के बीच कम उम्र में कन्या विवाह का अनुपात 1:3 हैं। कानून के बावजूद अभी भी कई समुदायों में झाल विवाह किए जाते हैं। लैगिंक भेदभाव अभी भी समाज में व्याप्त हैं ,संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक असमानता सूचकांक(जी आई आई)2011 की रिपार्ट में विष्व 187 देषों में भारत का स्थान134 वॉ हैं। जो लैंगिक समानता में भारत की दयनीय स्थिति को प्रकट करता हैं।

महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा कि स्थिति – महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान में कानूनों की लम्बी सूची हैं। फिर भी महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आयी हैं। नेषनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरों (एनसीआरबी)2014 के अनुसार विगत 10 वर्षों में महिलाओं के खिलाप अपराध दो गुने हुए हैं। विगत एक दषक में महिलाओं के विरूद्ध 22.40 लाख अपराध दर्ज किए गए। इन ऑकडों के आधार पर इंडिया स्पेंड के सर्वेक्षण के अनुसार देष में प्रति घंटे में महिलाओं के विरूद्व 26 हिंसक मामले दर्ज होते हैं। महिलाओं के विरूद्ध सबसे ज्यादा मुख्य अपराधों में पति या सम्बन्धियों द्वारा का जाने वाली कूरता हैं। विगत दस वर्षों में ऐसे 9,09,713 मामले दर्ज किए गए यह महिलाओं के खिलाप होने वाला सबसे बडा अपराध हैं।
देष में महिलाओं से छेडछाड सम्बन्धित दुसरा सबसे बडा अपराध हैं , पिछले एक दशक में 4,70,556 इस सम्बन्ध में मामले दर्ज किए गए। इसके बाद अपहरण तीसरा बडा अपराध हैं, जिसके 3,15074 मामले दर्ज किए गए ।
महिला हिंसा के कई सारे रूप हैं इनमें से यौन हिंसा, साईबर हिंसा, महिलाओं के साथ छेडछाड घरेलु हिंसा प्रमुख है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रति लाख महिलाओं की जनखंख्या पर अपराध के मामलों की दर 62.4 हैं। जब कि वर्ष 2018 में अपराध की दर प्रति लाख महिलाओं पर 58.8 थी। एन सी आर बी की 2019 रिपोर्ट के अनुसार ही महिलाओं पर हमला(21.8 प्रतिषत) अपहरण (17.9 प्रतिषत) और बलात्कार (7.9 प्रतिषत) से सम्बन्धित अपराध के मामले दर्ज किए गए। इससें अनुसूचित जाति के खिलाप अपराध के रूप में कुल 45,935 मामले दर्ज किए गए। घरेलु हिंसा के अन्तर्गत शारीरिक प्रताडना, भावनात्मक हिंसा , लैंगिक शोषण आर्थिक हिंसा मुख्य रूप से शामिल हैं। एनएफएचएस सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की महिलॉए सर्वाधिक घरेलु हिंसा का शिकार होती हैं। प्रति नौ मिनट में घरेलु हिंसा से सम्बन्धित कोई ना कोई मामला आवश्य दर्ज होता हैं।
इन सबके अतिरिक्त विगत 10 वर्षों में भारत में महिलाओं के प्रति कुछ नए प्रकार के अपराधों में भी वृद्धि हुई हैं। जिनमें से महिलाओं पर एसिड फेंकना महिलाओं का पीछा करना, लडकियों की तस्कारी, ऑनर, किलिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा महिलाओं का उत्पीडन आदि प्रमुख हैं।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं, कि समाज में महिंलाओं की स्थिति में सुधार लाए जाने के लिए अभी अनेक प्रयास करने की आवश्यकता हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में केरल जैसे कुछ राज्यों कों छोड दिया जाए तो महिलाओं की स्थिति निराशाजनक बनी हुई हैं। आर्थिक क्षेत्र में महिलाऍ अभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकी है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता हैं कि महिला बाल विकास व सरकार के कई प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं, शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाए स्वास्थ्य , स्वच्छता एवं रोजगार के प्रति जागरूक हुई हैं, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढी हैं, वैश्वीकरण के इस युग में महिलाओं के लिए साइबर क्षेत्र लैंगिक भूमिकाओं का पुनर्वितरण , कृत्रिम प्रजनन तकनीक अपनाने हेतु महिलाओं के अधिकार, सिंगल वूमेन की आवश्यकता को स्वीकार करना आदि जैसी चुनौतिया भी उत्पन्न हुई हैं।इन मुद्दों पर भी बहुत कुछ किसा जाना बाकी हैं, यही तभी सम्भव जब महिलाओं की बुनियादी आवयकताऍ पूरी हो जिससे उन्हें सफलता मिल सके, तथा ऐसे कार्यक्रम अपनाए जाए जिससे शहरी क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाओं के जीवन स्तर एवं परिवार में सुधार हो तभी महिलाऍ सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से सशक्त होगी, और उनकी परिवार एवं समाज में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1ण शर्मा, सोनी(2005) "महिला जागृति और सशक्तीकरण" आविष्कार प्रकाशन, जयपुर
2ण वर्मा ,संगीता (2005) "महिला विकास एवं राजकीय योजनाऍ" रितु पब्लिकेशन्स ,जयपुर
3ण मोदी ,अनिता(2011) "महिला सशक्तीकरण के विविध आयाम" बाइकिंग बुक्स ,जयपुर
4ण व्यास ,आशुतोष(2014) " जेण्डर समानता और महिला सशक्तीकरण " आविष्कार प्रकाशन ,जयपुर
5ण व्यास ,आशुतोष(2017) "महिला सशक्तीकरण चुनौतियां और सम्भावनाऍ " बुक एनक्लेव ,जयपुर
6ण छिल्तर ,मंजूलता(2010) "भारतीय समाज में महिला उत्पीडन" दिल्ली बुक सेन्टर नई दिल्ली
7ण द्विवेदी ,रमेश (2014) " लिंग आधारित बजट महिला सशक्तीकरण " प्रवक्ता डॉट कॉम
8ण कुमार ,विपिन ,(2008) " वैश्वीकरण एवं महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम , रीगल पब्लिकेषन , दिल्ली
9ण एंथनी , डी(2011) " द स्टेट ऑफ वर्ल्डस चिल्ड्रन " यूनिसेफ
10ण महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, रिपोर्ट(2018, 2019)
11ण राजस्थान जर्नल ऑफ सोषियोलॉजी(2018) जयपुर

12ण योजना ,सूचना प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली (फरवरी, सितम्बर 2016)
13ण कुरूक्षेत्र , नई दिल्ली (अगस्त 2013, जनवरी 2016)
14ण क्राइम इन इंडिया(2019 , 2020) , नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों दिल्ली
15ण भारत की जनगण्ना 2011